

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी पर्वतसिंह चूण्डावत
राजस्व प्रार्थना पत्र 119/2018

01. श्री ओम्प्रकाश पुत्र श्री मिटू
02. श्री बसन्तीलाल पुत्र श्री मिटू
दोनों जाति सैन निवासी ग्राम जामोला, तहसील मसूदा जिला अजमेर, राजस्थान।
.....प्रार्थीगण

बनाम

01. श्री जगदीश पुत्र श्री गोविन्द
02. श्री रमेश पुत्र श्री गोविन्द
दोनों जाति सैन निवासी ग्राम जामोला, तहसील मसूदा जिला अजमेर, राजस्थान।
09. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा।
.....अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम जामोला तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 532/1 रकबा 00-16-10. 532/2 रकबा 00-03-00. 596 रकबा 00-07-10. 597 रकबा 00-16-10. 598/1 रकबा 00-15-10. 598/2 रकबा 00-01-00 बिस्वा उनकी खुदकाशत से संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काशतकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते हैं अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण होकर उपस्थित पत्थरगढी करने पर कोई ऐतराज नहीं किया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम जामोला पटवार मंडल जामोला की जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता संख्या 36 में खसरा नम्बर 532/1 रकबा 00-16-10. 532/2 रकबा 00-03-00. 596 रकबा 00-07-10. 597 रकबा 00-16-10. 598/1 रकबा 00-15-10. 598/2 रकबा 00-01-00 बिस्वा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते हैं कि -
आदेश

तहसीलदार मसूदा को ग्राम जामोला स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 532/1 रकबा 00-16-10. 532/2 रकबा 00-03-00. 596 रकबा 00-07-10. 597 रकबा 00-16-10. 598/1 रकबा 00-15-10. 598/2 रकबा 00-01-00. बिस्वा में मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार राशि प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चूण्डावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

